



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102025-266866  
CG-DL-E-13102025-266866

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 667]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि.751(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के खान मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 786(अ), तारीख 23 अगस्त, 1989 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "चूना - कोश, कंकर और चूना-पत्थर जब उनका निर्माण-सामग्री के रूप में प्रयुक्त चूने के निर्माण के लिए भट्टों में प्रयोग किया जाए" शब्दों के स्थान पर, "चूना - कोश और कंकर जब उनका निर्माण-सामग्री के रूप में प्रयुक्त चूने के निर्माण के लिए भट्टों में प्रयोग किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एम.VI-16/7/2024-खान VI-भाग(6)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 786(अ), तारीख 23 अगस्त, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2025

**G.S.R. 751(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Mines, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 786(E), dated the 23<sup>rd</sup> August, 1989, namely:—

In the said notification, for the words “limeshell, kankar and limestone when used in kilns for manufacture of lime used as building material”, the words “limeshell and kankar when used in kilns for manufacture of lime used as building material” shall be substituted.

[F. No. M.VI-16/7/2024-Mines VI-Part(6)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

**Note.**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 786(E), dated the 23<sup>rd</sup> August, 1989.